

32
कार्यलय पुलिस महा निरीक्षक, राजस्थान, जयपुर ।

स्थाई आदेश न० 5 ✓

जयपुर, दिनांक : 2.6.67

63

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 26(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत पदगत शक्तियों के अनुसार मुख्य आरक्षक(सी:पी:) के उप निरीक्षक (फोटोग्राफर) के पद पर गुप्तचर विभाग अपराध शाखा में पदोन्नति हेतु परीक्षा के सतर्क प्राव्य विवरण निर्धारित किया जात है ।

2- अर्हकारी (कवालिफाईंग) परीक्षा 250 अंकों की होगी, जिसका विवरण सतर्क प्राव्य विवरण में अंकित है ।

3- राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 24(2)(बी) के अन्तर्गत जैसा कि नियम 23 व 24 में अंकित है, सीमित ही परीक्षा हेतु मान दण्ड (ब्र इटोरिया) नियमित करेगी ।

4- सीमित ही परीक्षा हेतु तिथि, समय एवं स्थान निश्चित करेगी एवं परीक्षा हेतु कार्यवाही संपादित कर, परिणाम घोषित करेगी ।

महा निरीक्षक आरक्षी,
राजस्थान ।

प्रतिलिपि :-

- 1- सम्बन्धित उप महा निरीक्षक, राजस्थान ।
- 2- सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक, राजस्थान ।
- 3- सम्बन्धित कमान्डेन्ट, आर:ए:से: बटालियन ।
- 4- प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षणालय, क्लिनमट ।
- 5- अपर पुलिस अधीक्षक, केंद्रिय भंडार, पी:एच:क्यू: 2
- 6- लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, जयपुर ।
- 7- सहायक महा निरीक्षक आरक्षी 'प्रथम' राज० जयपुर ।
- 8- संचालक, एफ एस एस जयपुर ।
- 9- सम्बन्धित जेन अफीसर, जयपुर राजस्थान ।
- 10- सम्बन्धित ग्रुप इन्चार्ज, पी:एच:क्यू:
- 11- पुलिस मजद लिपिक ।

ड्या सु/25-6